

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक/

25369-76 /2022-23

दिनांक : 23-03-2023

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,

जनपद-प्रयागराज।

संदर्भ: शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु जनपद में आपूर्तित निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के विद्यालयों में वितरण के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव महोदय, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-सामु0सह0/पा0पु0निर्देश/12678/2022-23 दिनांक 14 मार्च, 2023 द्वारा निर्देशित किया गया है कि "शैक्षिक सत्र 2023-24 में सत्र आरम्भ के पूर्व ही विद्यालयों तक पाठ्य पुस्तक/कार्यपुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य है, जिससे सत्र के प्रथम दिवस को ही सभी छात्र-छात्राओं के हाथ में नवीन पाठ्य पुस्तकें हों। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में शैक्षिक सत्र के आरम्भ के पूर्व ही पाठ्य पुस्तकें 31 मार्च, 2023 तक प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध करा दी जायें तथा दिनांक 01.04.2023 को समारोह आयोजित कर जनपदों में मा0 मंत्रीगणों, मा0 सांसदों, मा0 विधायकों व अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित कराया जाय। उक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।"

महानिदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक:वी0/8021-8113/2022-23 दिनांक 18.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु मुद्रित/प्रकाशित एवं आपूर्तित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की प्राप्ति, भण्डारण एवं वितरण समयान्तर्गत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय द्वारा दिये गये संदर्भित दिशा निर्देशों के अनुसार सगस्त कार्यवाही आपके द्वारा की जानी है। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के प्रथम दिन (01 अप्रैल, 2023) ही पाठ्य पुस्तकों का वितरण छात्र-छात्राओं को कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आपूर्तित समस्त पाठ्य पुस्तकों को एक साथ बच्चों को वितरित करायेंगे।

उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में ही महानिदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक वी0/5569-5927/2022-23 दिनांक 28.12.2022 के अनुक्रम में आपको इस कार्यालय के पत्रांक/19166-76/2022-23 दिनांक 06.01.2023 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

शैक्षिक सत्र 2023-24 की पाठ्य पुस्तकों की परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक/22006-16/2022-23 दिनांक 09.02.2023 द्वारा आपको निर्देशित किया जा चुका है तथा पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक:वी0/7330-7424/2022-23 दिनांक 03.03.2023 द्वारा प्राप्त प्रपत्र-1 संलग्न प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया गया था कि पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मांगी गयी सूचना प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें किन्तु अद्यतन किसी भी खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है और छात्र-छात्राओं को वितरण की सूचना 01 अप्रैल, 2023 से उपलब्ध करायी जानी थी, जिसका उल्लेख प्रपत्र-1 के कॉलम 8 पर है। आपके द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचना प्रेषित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। यह कार्य अत्यन्त ही असंतोषजनक है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख सचिव महोदय, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, महानिदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्रों द्वारा आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है। उक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य न होगी।

संलग्नक : उक्तवत्।

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रयागराज

पृ0सं0/ 25369-76 /2022-23 उसी तिथि को।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रयागराज।
5. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
6. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय को अनुपालन कराने हेतु।

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रयागराज

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10466
पत्र प्रारित क्रमांक..... तिथि 21/03/23
पटल सहायक सर्व श्री.....
कृपया नि०आ०का० करे जिला शिक्षा प्रयामराज

पत्रांक: सामु०सह०/पा०पु०निर्देश/ — /2022-23 दिनांक: 14 मार्च, 2023

विषय: शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु बेसिक शिक्षा की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु निःशुल्क राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के एफ०ओ०आर० डेरिस्टनेशन आपूर्ति एवं निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर से सम्बन्धित मुद्रकों/प्रकाशकों को क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है। क्रयादेश के क्रम में मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा जनपदों में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति भी शीघ्रता से की जा रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक सामु०सह०/नि०पा०पु०-निर्देश/10551/2022-23 दिनांक 25 जनवरी, 2023 द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्यपुस्तिकाओं की ढुलाई के सम्बन्ध में धनराशि निर्गत करते हुए विस्तृत निर्देश भी प्रेषित किये जा चुके हैं।

चूंकि शिक्षा सत्र 2023-24 में सत्र आरम्भ के पूर्व ही विद्यालयों तक पाठ्यपुस्तक/कार्यपुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य है, जिससे सत्र के प्रथम दिवस को ही सभी छात्र-छात्राओं के हाथ में नवीन पाठ्य पुस्तकें हों। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में शैक्षिक सत्र के आरम्भ के पूर्व ही पाठ्य पुस्तकें 31 मार्च, 2023 तक प्रत्येक विद्यालयों में उपलब्ध करा दी जाएं तथा दिनांक: 01 अप्रैल, 2023 को समारोह आयोजित कर जनपदों में मा० मंत्रीगणों, मा० सांसदों, मा० विधायकों व अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित कराया जाए।

उक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(दीपक कुमार),
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:-सामु०सह०पा०पु०निर्देश/ 12-670/2022-23 लखनऊ, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।

(दीपक कुमार),
प्रमुख सचिव।

मुख्य विकास अधिकारी

प्रयामराज

15-03-2023

BSA.

12670

1318

16-3-23

प्रेषक,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: बी/8021 - 8113

/2022-23

दिनांक :- 18-3-2023

विषय: शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु मुद्रित/प्रकाशित एवं आपूर्तित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/
कार्यपुस्तिकाओं की प्राप्ति, भण्डारण एवं वितरण समयान्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक-बी/6591-6684/2022-23 दिनांक-01.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु मुद्रित/प्रकाशित एवं जनपदों में आपूर्तित हो रही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति, भण्डारण एवं वितरण समयान्तर्गत कराये जाने के निर्देश आदि प्रेषित किये गये थे।

आप अवगत हैं कि पूर्व में कक्षा-4 से 8 तक की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के मुद्रण/प्रकाशन के सम्बन्ध में क्रयादेश निर्गत करने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये थे। तत्क्रम में शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में कक्षा-3 की पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं के मुद्रण/प्रकाशन हेतु क्रयादेश निर्गत करने के सम्बन्ध में आपको विस्तृत निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं। तत्क्रम में निर्गत क्रयादेशों के अनुसार समस्त मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा अद्यतन लगभग 80 प्रतिशत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति जनपदों में की जा चुकी है। जिस कारण पाठ्य पुस्तकों के भण्डारण की बेहतर एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही जनपद स्तर पर सत्यापनोपरान्त तत्काल पुस्तकें ब्लॉक स्तर पर भेजी जायें एवं ब्लॉक स्तर पर भी पाठ्य पुस्तकों के भण्डारण की बेहतर एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा आपके जनपद से सम्बन्धित जिन मुद्रकों/प्रकाशकों की आपूर्ति धीमी हो उन्हें शीघ्र आपूर्ति करने हेतु नोटिस निर्गत करने के साथ-साथ यथावश्यक कार्यवाही की जाये। इस हेतु आपूर्तिकर्ता मुद्रकों/प्रकाशकों से सम्पर्क कर निर्धारित समयावधि में पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का दायित्व आपका होगा।

शैक्षिक सत्र 2023-24 की पाठ्य पुस्तकों के परिवहन (Transportation) की व्यवस्था जिन जनपदों में अद्यतन नहीं की गयी है, तत्काल परिवहन (ढुलाई) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें, जिससे पाठ्य पुस्तकें जनपद स्तर से विद्यालय स्तर पर निर्धारित समयावधि में पहुँच सकें। इस हेतु आवश्यक होगा कि प्रत्येक दशा में पाठ्य पुस्तकें दिनांक-31 मार्च, 2023 से पूर्व ही विद्यालयों में पहुँचाने की व्यवस्था कर ली जाये, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

सूच्य है कि निर्धारित समयावधि में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में मुद्रकों/प्रकाशकों के साथ समीक्षा बैठक दिनांक-16.03.2023 को आहूत की गयी। उक्त बैठक में समस्त मुद्रकों/प्रकाशकों को कक्षा-4 से 8 के साथ ही कक्षा-3 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को भी दिनांक-28.03.2023 से पहले ही जनपदों में आपूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिससे छात्र-छात्राओं को सत्रारम्भ में ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जनपदों में कराया जा सके। इस हेतु आपके स्तर से निम्न कार्यवाही की जानी अपेक्षित है-

जिन पुस्तकों की आपूर्ति आपको अभी तक प्राप्त हो चुकी है उन सभी पाठ्य पुस्तकों को 03 दिनों में सत्यापन कराकर ब्लॉक को भेजा जाना सुनिश्चित करें तथा ध्यान रहे कि कोई भी पुस्तक जनपद स्तर पर स्टोर में शेष नहीं रहनी चाहिये। जनपद में ब्लॉक स्तर पर अद्यतन जितनी पुस्तकें

भेजी गई हैं उन्हें विद्यालयों तक तुरंत भिजवायें और ब्लॉक स्तर पर पुस्तकें स्टोर में न पड़ी रहें, इस हेतु प्रभावी समीक्षा एवं निरीक्षण स्वयं करें ।

उपरोक्तानुसार जनपदों में आपूर्तित पुस्तकों के सापेक्ष ब्लॉक स्तर पर प्रेषित की गयी पुस्तकों की जो सूचना कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, वह असंतोषजनक हैं। आप सभी से अपेक्षा है कि शासन और विभाग की मंशानुरूप इस बार प्रत्येक दशा में पुस्तकें बच्चों को सत्रारम्भ के दिन ही वितरित की जानी हैं इसलिए जो भी वांछित व्यवस्थाएँ हैं, उन्हें शीर्ष वरीयता प्रदान करते हुए पूर्ण कर लें। इस हेतु किसी भी प्रकार की शिथिलता कदापि स्वीकार्य नहीं होगी।

उक्त के अतिरिक्त समस्त जनपद शैक्षिक सत्र 2023-24 के प्रथम दिन से (01 अप्रैल, 2023) ही पाठ्य पुस्तकों का वितरण छात्र-छात्राओं को कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आपूर्तित समस्त पाठ्य पुस्तकों को एक साथ बच्चों को वितरित करायेंगे।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उ०प्र० लखनऊ।

पृ०सं०: बी/३०२१-८११३

/2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि: मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि अपने मण्डल के समस्त जनपदों को उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में समयान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्व स्तर से भी निर्देशित करते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उ०प्र० लखनऊ।